ISSN 2231-1629
Knowledge Resonance

भारतीय महिलाओं की आधुनिक समस्या और समाधान

प्रा. अशोक जानवे
समाजशास्त्र विभाग, दूधसाखर महाविद्यालय,
विद्री ता. कागल जि. कोल्हापूर

भारतीय संस्कृति बहूत पूरानी संस्कृती है। क्योंकि, भारतीय संस्कृति को पाँच हजार सालोंका इतिहास है। भारतीय भूमि ऋषियों- मुनिंयो की और शूरों की भूमि है, लेकिन प्राचिन कालखंड से आज के आधूनिक कालखंड तक भारतीय समाज में महिलाओं की समस्याएँ धिरे-धिरे बढ रही ही है। ऐसे दिखाई देता है।

किसी भी समाज मे पुरूष और महिलाओंको समान अधिकार मिलने चाहिऐ। लेकिन अधितक भारतीय महिलाओंको समाज मे समान अधिकार प्राप्त नही हुआ है। इस कारण भारतीय महिलाओंको बहूत समस्याओं का सामना करना पडता है। यह समस्याएँ कौन कौनसी है? यह समस्याएँ क्यो निर्माण हुई है? इसका आज अध्ययन करना आवश्यक है। मैं आज भारतीय महिलाओं की कौन- कौनसी समस्याएँ है, यह आपके सामने पेश कर रहा हूँ।

भारतीय महिलाओं की समस्योंका अध्ययन करने के लिए तीन कालखंड का विचार करना जरूरी है- अ) प्राचीन कालखंड ब) मध्यमयुगीन कालखंड क) आधुनिक कालखंड।

परिभाषा- Definition

1) पाल लेंण्डिस -" सामाजिक समस्याएँ व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षांएं है।"

2) बाह्य एवं फर्के :- "सामाजिक समस्या सामाजिक आदर्शो का विचलन है जिसका निराकारण सामूहिक क्रियाद्वारा ही हो सकता है।"

शोध निबंध का उद्देश्यः-

1) भारतीय महिलाओं की प्राचिन, मध्यमयुगीन और आधुनिक समस्यांका अध्ययन करना।

2) भारतीय महिलाओं की आधुनिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना।

अ) प्राचीन कालखंडः- Ancient Period

प्राचिन कालखंड मे भारतिय महिलाओं को देवता के रूप मे देखा था - जैसे देवी पार्वती, देवी अंवावाई, देवी सावित्री देवी महालक्ष्मि, देवी सरस्वती, देवी रेणुका आदि। भारतीय समाज महिलाओंको देवी मानता था। देवी के रूम में मंदिर में उसकी पूजा भी की जाती थी। इसलिए हर एक घर मे आनेवाली बहू या पत्नी लक्ष्मि थी, पार्वती थी, सावित्री थी।

ब) मध्यमयुगीन कालखंड :-

इस कालखंड मे भारतीय महिलाओं का महत्त्व थोडा कम हुआ एसा दिखाई देता है। क्योंकी इस कालखंड मे अपने लडकी या औरतों का काम माना जाने लगा। इसी वक्त समाज मे बाल विवाह, केशवपन, विधवा विवाह, अनमेल विवाह आदि। समस्याए को उनको सामना करना पडता था।

क) आधुनिक कालखंड -

कालखंड मे आधुनिक कालखंउमें भारतीय महिलाओंको तो अधिक समस्या ओंका सामना करना पडता है। जैसे भेदभाव की समस्या, हिंसा, बलात्कार, महिला तस्करी, यौन अनराध, वैवाहिक संबंध मे बलात्कार, ऑनर किलिंग ॲसिड फेकना, पिछा करना, वेश्या व्यवसाय, दहेज, स्त्री भृण हत्या, आदि समस्याओं ऐंका समावेश है।

ISSN 2231-1629
Knowledge Resonance

1) भेदभाव :-

भारतीय समाज मे पूराने जमाने से आजतक आधुनिक समात मे यह समस्या चल रही है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। भेदभाव समस्या केवळ भारतीय महिलाओं कि समस्या नहीं है, तो वो एक सारी दुनिया मे रहने वाली महिलाओं की समस्या है। देश गरीब हो या अमीर हो, सभी देश मे यह समस्या होती है। पहले से ही समाज मं सभी देशो मे पुरूषों को श्रेष्ठ दर्जा और आज भी दिया जाता है। लेकिन आज आधुनिक समाज में उसकी मात्रा बहुत कम हो गयी है।

भारत मे हर एक परिवार मे जो परिवार सुशिक्षित हो या अशिक्षित हो अस घर मे पुरूषोंकी सत्ता चलती है। हर परिवार मे नारी को दुय्यम माना जाता है। उदा. खानापिना, कपडा लेना, निर्णय स्वातंत्र्य, शिक्षा आदि स्थिती में उसके लिए अभी भी बंधन है । लेकिन सुशिक्षित परिवार मे इसकी तिव्रता थोडी कम हो रही है।

2) असुरक्षितता -

आधुनिक महिलाओं की यह एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। केवल भारत मे नही तो सारी दुनिया में भी महिला को असुरक्षित लगता है। लडकी हो, या औरत हो, घरमे काम करते समय या बाहर के काम या नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय करते समय असुरचितता के कारण भय लगता है। उसको छेडछाड का भी भय लगता है। विवाह के बाद भी उसे अकेलेपण, मानसिक और शारीरिक समस्याका सामना करना पडता है।

3) हिंसा :-

यह समस्या भी केवल भारत देश की नही तो, सारी दुनिया के महिलाओं समस्या है। दुनिया मे 35 प्रतिशत महिला किसी ना किसी हिंसा की शिकार होती है। हिंसा घर के साथियो से होती है, या बाहर के लोगोसे भी हो सकती है। हिंसा कोई भी हो सकती है। जैसे - पति का पत्नी को शराब पिकर मारपीठ करना, सिगारेट से जलाना, गालियाँ देना, भारत मे लडकियों की 18 वर्ष से कम उम्र में उनकी शादी की जाती है। हर तीन मे से एक लडकी की शादी 15 वर्ष से कम उम्र में होती है। इतनी कम उम्र मे वे किसी यौन संवंध से इन्कार नही करती है। अपराध और हिंसा ओं की शिकार कभी मॉ होती है तो कभी वहू होती है, तो कभी वेटी भी होती है। इसलिए यह भी एक वडी समस्या है।

4) बलात्कार :-

भारत के शहरों मे या गावों मे छुपे या खुले स्वरूप मे लडकियाँ और महिला ओंके साथ वलात्कार होते हैं। विश्वस्तर पर 12 करोड लडकियों को जबरन यौन संबंध के लिए मजबूर किया जाता है। यह बलात्कार का दुसरा रूप है। संयुक्त राष्ट्र के समाचार के अनुसार 20 करोड महिलाएँ यौन हिंसा की शिकार होती है। इसमे बहूत से देशो में पाच साल से छोटी लडकीयों को भी शिकार होती है। इसमे बहुत से देशो में पाच साल से छोटी लडकियों को भी इस भयंकर तकलिफ से गुजरना पडता है।

भारत में भी लडकियाँ बलात्कार की शिकार होती है। युरोप संघ एजन्सी के रिपोर्टनुसार दस मे से एक महिला सायबर हिंसा से पिडीत है, यह हिंसा का आधुनिक रूप है। उदा. कई लोग 15 वर्ष की लडकियों को इमेल या एस एम एस भेजते हैं। 18 से 29 वर्ष की महिलाओंको कई लोग अश्लिल संदेश भेज देते है। स्कूल मे कई लडकिओं को लडकों से जादा खतरा होता है।

विश्व में 34 प्रतिशय विकलांग (शारिरिक और मानसिक) पिडीत महिलाओं को अपने जीवन मे ही यौन हिंसा की शिकार होना पडता है। विश्व मे केवळ 40 प्रतिशत महिला ऐसी हिंसा होते समय मदत लेती है। भारत मे महिला आपने परिवार या मित्र की सहायता माँगती है। लेकिन पुलिस की सहायता कभी कभी ही लेती है।

यौन अपराध :-

अमेरिकन मेडिकल एसा सिएशन के अनुसार बलात्कार किसी अपरिचित नही तो परिचित आदमियोंसे किया

ISSN 2231-1629
Knowledge Resonance

जाता है। विश्व मे श्रीलंका का पहले स्थान पर है। श्रीनंका मे पुरषो ने किसीना किसी स्त्री का यौन शोषन किया है। उसके बाद कॅनडा, फ्रॉन्स, जर्मनी, ब्रिटन, अमेरिका, और भारत का भी नाम आता है। सन 2012 में भारत मे 'निर्भया हत्याकांड' और आज 2016 मे 'कोपार्डी गांव' की घटना आपको मालूम है।

6) वैवाहिक संबंध मे बलात्कार :-

यह भी भारतीय महिलाओंकी बडी समस्या है। लेकिन इस विषय पर महिला चूप रहती हैं, क्योंकी पति के खिलाफ कभी कोई भी महिला नहीं जाती। लेकिन पश्चिम देशो मे 1980 और 1990 के बाद वैवाहिक संबंध मे बलात्कार को अपराध घोषित किया जाता है। लेकिन भारत मे वैवाहिक संबंध मे बलात्कार कोई अपराध नहीं माना है। भारत मे इसके खिलाप कानून बनना चाहिऐ। भारत के बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी जी ने इस अपराध के लिए कानून बनाने मांग की है।

7) ऑनर किलिंग :-

भारत मे जब महिला, लडकी परिवार का नाम बदनाम करती है, तब उसका पिता, भाई इस महिला, लडकी को मार देता है। जैसे शादी से मना करना, अपनी पसंत से शादी करना, अपनी पसंत का कपडा पहनना, किसी के साथ घर छोडकर भाग जाना । इस मामले के कारन उसकी हत्या कर दी जाती है। अफगाणिस्तान, इराण, सौदिअरेबिया और भारत आदि देशों मे यह समस्या है।

8) एसिड फेकना :-

जब कोई लडकी अपनी इच्छा पूरी नही करती तो लडका उसके चेहरे पे एसिड फेंकता है। इसके खिलाप कानून है। लेकिन वो उसका सहारा नही लेती है। बांगला देश और भारत मे यह बडी समस्या बन गयी है। उदा. 10/15 साल के पहले सांगली मे रिंकू पाटील नाम के लडकी के चेहरे पे एक लडके ने चेहरे पे ॲसिड फेक दिया था।

9) पिछा करना :-

भारत में यह भी वडी रामस्या है। महिलाओं का पिछा करने वाले लोग परिचित होते हैं। लेकिन भारत में पिछा करने को अपराध माना नहीं जाता। इसलिए उस अपराध को जुर्माना नही हो सकता है। कुछ महिने पहले चन्नई के इनफोसिस की एक कर्मचारी की हत्या करनेवाले व्यक्तिने तीन महिने से उसका पिछा किया था।

10) तस्करी :-

एक देश से दुसरे देश में लडकियों तस्करी करना यह भी बडी समस्या है। भारत में इसका कानून है। एक देश से दूसरे देश भेजनेवाले लडकियों की संख्या वढती है। लेकीन इसके पक्के आकडे नही मिलते। .....का कहना है कि, तस्करी का शिकार होने वाली लडकियाँ गरीब, पिडीत होती है। महिलाओं का क्रय - विक्रम करना, वेशावृत्ति के धंदे मे भी जबरदस्ती करना, मजबूर करना आदि दंडनिय अपराध है। 1956 का यह कानून है। भारत में 1961 के कानून अनुसार दहेज लेना और देना अपराध है। लडकिवालों को दहेज लेने देने के आरोप में लडके वालो को कानून की सजा दिलवा सकते हैं।

12) स्त्री भृण हत्या :-

आज भारत मे कन्या भ्रृण हत्या की जाती है। इसका प्रमुख कारण है। अशिक्षा अनपढ लोग अपने बेटीओं का महत्व नहीं जानते। इसलिए वो कन्या भ्रृण हत्या करते हैं। लेकिन आज पढे लिखे लोग भी कन्या भ्रृण हत्या करवाते हैं। हरियाना, राजस्थान, और पंजाब इन तीन राज्यों में इस समस्या ने बिकट रूप धारण किया है।

13) वेशा वृत्ती :-

भारत में नही तो सारी दुनिया की कुछ महिलाएँ छुपे या खुले रूप में यह व्यवसाय चलाती है। अपना पेट

ISSN 2231-1629
Knowledge Relevance

भरने के लिए कुछ महिलाएँ यह व्यवसाय करती है। अनेक शहरों में यह व्यवसाय सिर्फ बहूत पैसा कमाने के लिए चल रहा हैं।

उपाय :-

1) कानून को कठोरता से लागू करना :-

केंद्र सरकार इस समस्या को सुलझाने का लिए प्रयत्न कर रहा है। सरकार ने इसके पहले कानून किया है। लेकिन इसको कठोरता से लागू नही किया गया। आज भारत सरकार ने इस कानून का कठोरता से लागू करना आरंभ रहा है। आज भारत मे बलात्कार करने वालों को सात साल की सजा होती है और आजन्म कारावास की सजा भी हो सकती है।

2) खास सुविधाएँ :-

अ) टेलिफोन :-

सरकार आज महिलाओं के जादा सुरक्षा देने के लिए टेलिफोन से '100' नंबर को डायल करने का प्रसार भी कर रहा है। अभी - अभी सारकारने टेलिफोन मे एक पैनिक बटन लगाने की योजना भी बना रहा है।

ब) निर्भया फंड :-

पिडित महिलाओं के लिए सारकारने 'निर्भया फंड' की योजना का गठन किया है। और 24 घंटे मे मदत मिलने के लिए हेल्पलाईन योतना भी की है।

क) सी.सी.टी.व्ही. योजना :-

शहरो मे सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे लगाने की योजना भी सुरू है। इस तरह से हमारा भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयत्न शूर कर रहा है।

संदर्भ :-

1) *योजना- सितंबर 2016 दिल्ली*
2) *प्रो. गुप्ता एवं डॉ. शर्मा - भारतीय सामाजिक समस्याएं साहित्य भवन पब्लिकेशन : आगरा 2007*